कार्यालय नगर पालिक निगम रतलाम म.प्र.

दिनांक 23–03–2021

बैठक कार्यवृत दिनांक 23–03–2021

दिनांक 23–03–2021 को सायं 5.00 बजे स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 बाबत आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही ;–

1– श्री विकास सोलंकी उपायुक्त नगर पालिक निगम–रतलाम,
2– श्री सुरेशचन्द्र व्यास–प्र0कार्यपालन यंत्री,
3– श्री जी.के. जायसवाल–प्र0कार्यपालन यंत्री,
4– श्री श्याम कुमार सोनी, प्र0सहायक यंत्री,
5– श्री अनवर कुरैशी, ,,
6– श्री सत्यप्रकाश आचार्य, प्र0जल प्रदाय वि0,
7– श्री एम.के. जैन – प्र0सहायक यंत्री,
8– श्री अरविंद दशोत्तर – ,,
9– श्री जसवन्त जोशी–प्र0सचिव,
10– श्री रामचन्द्र शर्मा–प्र0कार्यालय अधीक्षक,
11– श्री बी.एल. चावरे–जलप्रदाय/पीएमएव्हाय,
12– श्री सुहास पंडित – उप यंत्री,
13– श्री भैयालाल चौधरी ,,
14– श्री राजेश पाटीदार, ,,
15– श्री सिद्धार्थ सोनी ,,
16– श्री मनीष तिवारी ,,
17– श्री विकास सिंह मरकाम ,,
18– सुश्री दीक्षा निजामपुरकर ,,
19– श्रीमती अनिता ठाकुर ,,
20– डॉ. हिमांशु शुक्ला –KPMG Consultant,
21– श्री सुशील कनाथे – KPMG Consultant,
22– श्री प्रतीक मिश्रा – KPMG Consultant,
23– श्री राजेन्द्रसिंह गैहलोत–सहायक वर्ग–3, स्वास्थ्य,
24– श्री नितिन तिवारी, सिटी मिशन मैनेजर,
25– श्री कपिल तिवारी, ,,
26– श्री धर्मेन्द्र दोगाया–उद्यान पर्यवेक्षक,
27– श्री अनिल पारा–उद्यान पर्यवेक्षक,
28– श्री जितेन्द्र सिसौदिया फिल्टर अटेंडेंट,
29– श्रीमती मौनिका चौहान–उप स्वच्छता पर्यवेक्षक,
30– श्री जय उपाध्याय ,,
31– श्री तरूण राठोड़ ,,
32– श्री आशीष चौहान ,,
33– श्री विराट मेहरा ,,
34– श्री प्रमोद तिवारी–स्टेनोग्राफर,
35– श्री वासुदेव बैरागी–समयपाल,
36– श्री नवीन बैरागी, सा.प्र.
37– श्री राहुलसिंह राठौर–आईईसी आस्था सहयोगी संस्था,

Scanned with CamScanner

बैठक में स्पाट फाईन टीम द्वारा अभियान में आजपर्यन्त अभी तक 50 माइक्रोन से कम मोटाई की लगभग 2 टन पॉलीथीन को जब्त करने के बाद उसे पांजरापोल पर रखा गया है के संबंध में श्री ए.पी. सिंह प्र0स्वच्छता अधिकारी द्वारा निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही शीघ्र ही की जावे।

तत्पश्चात् वार्ड नम्बर 01 से 49 हेतु मानीटरिंग के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक से वार्ड के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 बाबत सफाई व्यवस्था एवं किये जाने वाले अन्य आवश्यक कार्य के संबंध में जानकारी ली जाकर उक्त कार्य तत्परता से करवाये जाने व अपने सुपरविजन के वार्ड क्षेत्र में स्थित बेस्ट लोकेशन के पॉईन्ट (सड़क, उद्यान अथवा वाटरबाडी आदि हेतु निर्धारित कार्य, वार्ड में बोर्ड लगाने तथा वाल पेटिंग आदि) के कार्य को भी दिखवाया जाकर करवाने के निर्देश दिये गये ।

स्वच्छ भारत मिशन प्रकोष्ठ नगर निगम को विहित प्रपत्र में बिन्दुवार जानकारी भर करके स्वच्छ भारत मिशन प्रकोष्ठ को दिनांक 24–03–2021 को सायं तक उपलब्ध करायी जाय ।

निकाय द्वारा विगत 3–4 दिन से अनाउंसमेंट किया जा रहा है अब नीचे जमीन पर बैठकर सब्जी आदि बेंचने वाले की दुकान के सामने खुले में कचरा पाये जाने पर उन पर रू0 50/– के स्थान पर रू0 100/– का स्पाट फाईन किया जाय ।

फव्वारा चौक, गीता मंदिर रोड़, सैलाना रोड़ आदि पर रोड़ के दोनों ओर दुकानदारों ने कचरा फेंक रखा है अतः जिन दुकानों के सामने दुकानदारों द्वारा कचरा फेक रखा है उनके सामने सूखा/गीला कचरा पाया जावे उन पर रू0 500/– का स्पाट फाईन लगाया जाए ।

दरोगा, रैगपिकर्स, नोडल अधिकारी वैरीफिकेशन करवाएं, एक रजिस्टर रखें व पीछे–पीछे वार्ड में आईइसी की टीम सहित चले । आईइसी की टीम द्वारा एक दिन घर–घर जाकर के एक गली में कितने मकान हैं व वार्ड में कुल कितने मकान हैं का सर्वे किया जाकर वार्डवार संख्या निकाली जाय ।

कचरे में सूखा कितना, गीला कितना व घरेलू हानिकारक (हजार्डस्ट वेस्ट) कितना मिला की जानकारी पत्रक में भरी जाए जिसमें सबकी अलग–अलग मात्रा बाबत पत्रक भरकर बिन्दुवार जानकारी दी जावे कि वहां उक्त कितना कचरा था, जुलवानिया कितना गया, इस हेतु जुलवानिया में स्थित संबंधित कर्मचारी का नम्बर रखा जाए । श्री ए.पी. सिंह प्र0स्वच्छता अधिकारी द्वारा सबको जानकारी उपलब्ध करवायी जाए ।

एक तो यह होना चाहिए कि कचरे को पहचानो । सभी का सूखा कचरा कितना कबाड़ी को बेंच दिया व कुल कितना कचरा निकला । प्लास्टिक, पुट्ठा, कांच व बाकी बचा मटैरियल वहां वेस्ट (waste) हो गया जुलवानिया में ।

Scanned with CamScanner

गाड़ियों में और क्या इनर्ड व्यवस्था करनी है । शहर को नं0 01 जनता को जागरूक कर पूरी टीम को बनाना है ।

गीला कचरा, सूखा कचरा. तो इसमें गीले कचरे में सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके आदि उसे गीला कचरा कहते हैं । अगर गीले कचरे की प्रोसेसिंग हमने नहीं की तो सभी वार्ड में प्रोसेसिंग की व्यवस्था बनाते हैं । सभी घरों का कचरा प्रोसेसिंग हेतु चला गया तो कम्पोस्ट पर एक गाढ़ा काला द्रव मिलेगा लिचेट, जुलवानिया में यह नाली में बहकर टैंक में चला जायगा।

सूखे कचरे में कई चीजें हैं जो कबाड़ी नहीं खरीदता है व एस.एच.जी. वही कचरा उठाते हैं जो बिक जाता है । जैसे सूखे कचरे में बचा हुआ सारा कचरा वेस्ट (waste) नहीं है । यह कचरे को बिना प्रसंस्कृत किये पटक दिया जाता है वह डम्प साईट व बची हुई सामग्री को जहां डालते हैं वह साइंटिफिक लैंडफिल पर जाता है ।

यदि कचरा अलग नहीं होता है तो उसे कन्वेयरबेल्ट छानता है इसलिए कोशिश करें कि इसे स्त्रोत पर ही अलग कर दिया जाए ।

कचरा जिसे पुनः प्रसंस्कृत किया जा सकता उसे इनर्ड कहते हैं जैसे टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा घर पर ही इसे अलग कर दिया जाता है । टूटी हुई चप्पल को पुनः सूखे कचरे की रिसायकलिंग के बाद को इनर्ड कहते हैं इसको हम लैंडफिल पर डालते हैं ।

इनर्ड मटैरियल – इनर्ड से तात्पर्य कचरे के प्रसंस्करण के पश्चात् प्राप्त उस सामग्री से है न तो जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है और न ही इसमें क्लोरोफिल वैल्यु है ।

कचरे को सही में पहचानने हेतु कचरा कलेक्शन गाड़ियों को खाली करते हुए देखिये, क्योंकि 100 प्रतिशत सेग्रीगेटेड कोरी कल्पना है । प्लास्टिक की चम्मच कहां डालना. 100 प्रतिशत सेग्रीगेशन नहीं होता है । खाली करने के बाद में बहुत ज्यादा मटैरियल रिकवर कर सकते हैं । अगर रिकवर हो जाय तो वेस्ट (waste) पड़ा हुआ है ऐसे सीधे–सीधे जमा होता जाएगा लेकिन जो रतलाम के रहने वाले लोग हैं उन्हें प्राब्लम फेस करना पड़ेगी, क्योंकि कारण क्या होता है कचरा । आप सभी काम कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सेग्रीगेशन फिर किसी सेग्रीगेशन के लिए मत किया जाय तो अभी कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है ।

Scanned with CamScanner

वार्ड के 50–50 घरों में होम कंपोस्टिंग करवायी जाय ।

सेग्रीगेशन करने टीम के सदस्य आयेंगे व घर वाले कह देंगे कि कहां सेग्रीगेशन हो रहा है तो वह मान लेंगे । किन्तु ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कह देंगे कि साहब मैं आपको बताता हूं । जनता को ऐसी आदत हो गई है कि यदि कोई जानकारी ले रहा है तो समझाते हैं कि कोई स्कीम आ गई है ।

अगर आपको अच्छे नम्बर लाने हैं तो वार्ड एरिया को अच्छा रखना होगा यह एरिया बहुत अच्छा, अच्छा व कम अच्छा में रखा जा सकता है तो इसमें हमारी। कौनसा एरिया है वह अच्छा है या खराब है को देखें व कमी को दूर कर उसमें सुधार करें ।

सर्वेक्षण के दौरान हमें यह ध्यान रखकर चलना है कि सर्वेक्षण के मद्देनजर कचरा वाहन भर जाने के बाद कचरा उड़ाते हुए आ रहे हैं यह देखा जाता है तो जब उनमें कचरा भर जाए तो कचरा भरने के बाद उन पर ग्रीन नेट करना चाहिए । नोडल अधिकारी इसको समझ लें कि अपने–अपने वार्ड में इस प्रकार कचरा वाहनों से कचरा फैलेगा नहीं इस हेतु इन गाड़ियों पर ग्रीन नेट लगाने के लिए जितनी गाड़ियां है की संख्या निकालकर 02 दिन में कचरा कलेक्शन गाड़ियों पर उक्तानुसार ग्रीनमनट श्री विकाससिंह मरकाम उपयंत्री द्वारा लगवायी जावे ।

मटका कंपोस्ट हेतु मटके में हल्की सी मिट्टी, गीला कचरा व गोबर डालकर पानी का छिड़काव करके उसे ढंक दें । इसमें मच्छर होने की वजह यह होती है कि हम उसमें कचरा डालते रहते हैं किन्तु उसे पलटते नहीं हैं, अतः हर सातवें दिन कचरा पलट दें पन्नी पहन करके । इसमें हर कचरे के गलने की समय–सीमा अलग–अलग होती है कम से कम 45 दिन । इसमें हर सातवें दिन मटके के कचरे को पलटना व पानी डालना जब तक कि मटको भर न जाए । पहले जब हम खुद ट्रेन्ड हों तो बाद में लोगों को जागरूक करेंगे अच्छा प्रोसेस है बाजार में मिट्टी का मटका होगा इसमें छोटे–छोटे छेद हों. इस हेतु 50 लोग अपने–अपने घरों में कंपोस्टिंग करेंगे ।

अलग–अलग वार्डो में लोग रहते हैं बता सकते हैं कि हम यह कर रहे हैं हर वार्ड में 50–50 लोगों द्वारा मटका कंपोस्ट करवाना ।

नए कंपोस्ट में बहुत अच्छी व्यवस्था आ रही है आप सातवें दिन पानी डाल रहे हैं तो 42–45 दिन बाद यह बायो कल्चर का काम करेगा । मटका कंपोस्ट हेतु इंट्रेस्टेड हों वह मटके में बारीक–बारीक छेद कर दें।

Scanned with CamScanner

जितने लोग होम कंपोस्ट करेंगे तो उनको कचरा संग्रहण के चार्ज में 5–10 प्रतिशत की छूट मिलेगी । थोड़ी सी मानसिकता बदल रही है सन् 1800 में राज राम मोहन राय ने कहा था कि सती प्रथा गलत है लेकिन बाद में 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया गया। आदत तब बदलेगी जब आईसी होगा, इंदौर में आईसी बहुत तगड़ा हुआ है । यहां थोड़ा मोटिवेशन की जरूरत है । प्रशंसा व सर्टिफिकेट अच्छा ही लगता है । कचरा संग्रहण वालों में बदलाव नहीं आएगा जब तक आप उनकी प्रशंसा नहीं करोगे कि आपका काम लाजवाब है । यह मुख्य काम आईइसी का है।

आपको यह भी ध्यान रखकर चलना है कि मुड देख करके दुकानदार से तभी बात करें अतः यह देखना होगा कि कब बात करें और सबसे पहले मुस्कराहट लाना सीखो । आपकी एक मुस्कराहट आदमी को सहज कर देती है । आईसी में ग्राउंड पर दरोगा से जनता डरती है । टीम के सर्वे में लोग कहेंगे कि कोई गाड़ी नहीं आती किन्तु दरोगा के वहां आने के बाद ही कहेंगे कि भईया रोज गाड़ी आती है।

थोड़ा सा डायनामिक्स कुछ लोग जब भी शहर में जाते हैं व ग्राउंड लेवल पर कहते हैं चीजें धीरे–धीरे बदलती है चेंज होती है जब मजबूरी होती है तब आदमी काम करता है घुस जाते हें लोगों के दिमाग में हम यात्रा में बाजू वाले आदमी को जानते नही व उसके भरोसे सूटकेस बस में छोड़कर पोहा खाने चले जाते हैं तो वार्ड में कोई घर ना छूटे कचरा संग्रहण के कार्य में। साथ ही वार्ड के व्हाटसएप्प ग्रुप में जुड़ कर पाजिटिव लोगों को ग्रुप में जोड़ें। कोशिश करनी है कि रतलाम में बदलाव आयेगा, क्योंकि पिछले साल के बजाय वर्तमान में रतलाम में बदलाव आया है । लोगों से होम कंपोस्टिंग करवायें । इस पर छोटे–छोटे वीडियो बना सकते हैं । चाहे सर्वेक्षण के लिए किया जाए या रतलाम के लिए किया जाए, अभी यंग जनरेशन जो आ रही है । नवाचार हो रहा है कि नाले में मिठाई खा रहे हैं, नाले में शादी की सालगिरह मना रहे हैं। होम कंपोस्टिंग को लेकर कोई क्रिक्रेट प्रतियोगिता करवायें, बेडमिंटन ग्रुप में जुड़वायें।

होम कंपोस्टिंग के जितने किट स्टोर में पड़े हें वे कल इश्यु कर दिये जायें व कल से होम कंपोस्टिंग करवायें। कम्पोस्टिंग करवायेंगे तो 50 प्रतिशत कंपोस्टिंग हो जाएगी । होम कंपोस्टिंग सबको कर दिया जाय ।

अभी तक 4 मार्च–2021 से लेकर जो वार्ड (26) जीरो वेस्ट वार्ड हो चुके हैं की पोर्टल पर कम्पलाईज होना बाकी है । कम्पलाईज भी करेंगे व कल शाम की बैठक में चैक किया जायगा कि रजिस्टर रखना, टीम लीडर, दरोगा, आईइसी टीम कल की तारीख में वार्ड में 1–1

Scanned with CamScanner

गली में घरों की संख्या नोट कर ले घरों की संख्या की रजिस्टर में इंट्री होगी व वार्ड में 1–1 गली में कितने घर हैं, ऑनर का नाम व मोबाईल नम्बर दिया जावे । मटका कंपोस्टिंग का कार्य करवाया जाए जो क्लीयर हो चुका है । कचरा वाहन से कचरा गिरे नहीं इस हेतु ग्रीन नेट की डिमांड करके इसे 2 दिन में खरीदा जावे ।

सर्वेक्षण दो तरह से होना है जिस हेतु 1– टीम का सदस्य डायरेक्ट आब्जरवेशन हेतु आपके वार्ड में आयेगा व जवाब अपलोड करेगा । 2– सिटीजन वैलिडेशन (नागरिक वैधता) जिसमें जैसे कि निकाय ने कहा कि हमारे यहां बरतन बैंक है तो जिस बाजार में बरतन बैंक है वह उसके आसपास के नागरिकों से पूछेगा कि क्या बरतन बैंक है तो आसपास के लोग बतायेंगे कि साहब परसों ही खुला है । हमारे यहां रतलाम में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन (प्लास्टिक) मुक्त है व 49 वार्ड में उपयोग नहीं किया जाता है तो वह नागरिकों से पूछेगा कि प्लास्टिक बेन है क्या तो वे कहेंगे कहेगें कि वह दवाई लेकर (पॉलीथीन थैली में) के आ रहा है तो आपके नम्बर कट।

सर्वेक्षण में 1.रहवासी, 2–व्यावसायिक, 3–सार्वजनिक, 4–औद्योगिक के अन्तर्गत इनमें से रहवासी क्षेत्रों में 5 क्षेत्र देखे जायेंगे 5 सड़कें आदि ।

रोड्स् देखे जायेंगे – इसमें वार्ड का बोर्ड लगा होना चाहिए । वार्ड की इंट्री के पूर्व वार्ड नंबर व नाम का प्रत्येक वार्ड में एक बोर्ड लगाना होगा । आपके वार्ड में 05 स्ट्रीटलाईट या गार्डन देखे जायेंगे गार्डन पर बोर्ड लगा हो, लिटरबिन्स लगा हो व स्वच्छता का बोर्ड लगा हो । इस संबंध में श्री वासुदेव बैरागी–समयपाल स्वच्छ भारत मिशन प्रकोष्ठ से सूची ले लें कि आपके वार्ड में क्या–क्या प्रस्तावित किया गया है उस सूची को लेकर उक्त सूची के मान से पर्यवेक्षक द्वारा अपने वार्ड में सुपरवीजन कार्य की मानीटरिंग की जाय ।

अगर वार्ड में बल्क जनरेटर्स है तो हिसाब से गीला कचरा वाले थोक उत्पादक (मैरिज गार्डन) कंपोस्टिंग कर रहा है या नहीं । लिटरबिन्स लगे होने चाहिए, हॉर्डिंग्स लगे होने चाहिए, वाल पेटिंग होनी चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन में स्टार रैटिंग जैसी चीजों को 2 भागों में बांटा है । जो वार्डो में चाहिए व जो शहर में चाहिए।

वार्ड में कचरा का 100 प्रतिशत कलेक्शन हो रहा है अथवा नहीं, कचरे का सेग्रीगेशन हो रहा है अथवा नहीं । वार्ड में दिये गए थोक कचरा उत्पादन (कंपोस्टिंग) हो रहा है अथवा नहीं व पेनल्टी का विवरण । वार्ड लाईट चौराहे उपयोग किया जा रहा है, फव्वारे लगे हों । जब सर्वेक्षण टीम का सदस्य आता है तब वह पूछता है कि वाल पेटिंग कौनसी ळै, वार्ड की सबसे बड़ी/अच्छी सड़क व उद्यान कौन से है, सड़क, उद्यान के यहां लिटर बिन्स लगा हो, सबसे

Scanned with CamScanner

बड़ा तालाब, झील कौन से हैं । हमारे वार्ड की मल्टी/एक्स्ट्रा कार्य दिखवाना तो आपको यह पहले से चिन्हित करना होगा । यदि वार्ड नंबर 12 का फोटो लगाना है तो हमें अपना काम खत्म करना है । हम वार्ड में दिखायेंगे तो वह कहेगा कि शर्माजी के सामने वाली गली दिखाओ ना । यह ध्यान में रखकर के चलना है कि वार्ड में क्या–क्या है व क्या–क्या दिखाना है ।

वाटरबाड़ी के अन्तर्गत कोई भी तालाब, झील या नदी में कचरा तैरता हुआ नहीं होना चाहिए व वहां पर बोर्ड लगा होना चाहिए व स्वच्छ भारत मिशन का लोगो होना चाहिए । अगर आपके वार्ड में प्रोसेसिंग प्लांट हो तो बोर्ड लगा है, प्लांट चालू है, लाग बुक है ।

नागरिकों से क्या–क्या पूछा जाएगा 1–स्लम/हाउसहोल्ड से कि – कचरा संग्रहण के अन्तर्गत क्या कचरा अलग–अलग लिया जाता है, क्या कचरा संग्रहण वाहन समय पर आता है व हम सेग्रीगेशन करते हैं क्या तो वह कहेगा कि डस्ट बिन लेकर के आया, डस्ट बिन 1 होने पर केवल सूखे कचरे के लिए थैली लेकर के आ जाये । वह पूछेगा कि सेग्रीगेशन करते हैं कितने साल से तो कहेगा कि 4 साल से ।

दुकानदारों के संबंध में ध्यान रखना है कि उनका वीडियो बनेगा, वह पूछेंगे कि क्या कचरा वाहन आपके यहां आता है, क्या प्लास्टिक बैन है, क्या नगर निगम द्वारा 50 माइक्रान से ऊपर का पालीथीन इस्तेमाल करने के लिए यूजर चार्ज लिया जाता है व 50 माइक्रोन से कम के उपयोग, मण्डारण पर जुर्माना है। स्कूल में पूछा जाएगा कि कचरा वाहन आता है, कचरा अलग–अलग आता है वह कचरा दिखाने को कहेगा व फोटो खींचेगा। होटल व गेस्ट हाउस, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन (प्रतिबंधित) है या नहीं । रेस्टोरेंट में सेग्रीगेशन होता है या नहीं । इसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या आती है सरकारी गाड़ियां कचरा कलेक्शन हेतु आती है या नहीं व कचरा अलग (सेग्रीगेशन) करते हैं या नहीं। यदि वह कह देता है कि मुझे नहीं मालूम हमारे पड़ोसी से पूछें, आपको मालूम है मैं कौन हूं ।

10 बिन्दु है हाउस आदि के कि कचरा अलग किया जाएगा। जो खाली प्लाट पर कचरा फेंकते हो के मोबाईल पर फोटों खींचे व उसको निकालकर यहां सबमिट करें ताकि यहां से संबंधित को नोटिस जारी होंगे अतः एस.बी.एम. सेल में व मेरे व्हाटसएप्प पर उसे भेजा जावे ।

रोड़, नाली साफ हो व कचरा कहीं भी बिखरा हुआ न हो सभी पॉजीटिव हो व रतलाम नम्बर 01 बन जाये। आगामी माह (अप्रैल–मई) में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का रिजल्ट आने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कृत करने संबंधी कार्य किया जावे ।

Scanned with CamScanner

ODF++ के बाद रतलाम को नम्बर 01 फाईव स्टार रैटिंग लाने हेतु कार्य करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 49 वार्ड में से दिनांक 04–03–2021 को चलाये गये अभियान के अन्तर्गत आज तक लगभग 26 वार्ड को जीरो वेस्ट वार्ड किया जा चुका है । पूर्व में इन वार्डो में जो कचरा दिखता था वह वर्तमान में सड़क, नाले, नालियों में कम दिखता है । जीरो वेस्ट वार्ड में सिंगल यूज प्लास्टिक हेतु भी शीघ्र ही कार्य किया जायेगा । इन वार्डो में जो खुशी है रिस्पांस है व इससे लोगो की शिकायत खत्म हो गई है । पहले कचरा गाड़ियां बराबर नहीं आती थी तो अब कचरा गाड़ियां आने लग गई है व खुशी–खुशी यह कार्य हो गया व हेल्पर द्वारा भी अब गाड़ी में नहीं बैठ करके कचरा लेना शुरू कर दिया गया है । शहर को नंबर 01 लाने का मूल मंत्र यही है कि कचरा कलेक्शन हो जाय व एस.एच.जी.को उनकी मेहनत का फल मिल जाय। कल से वार्ड नम्बर 02,06,21 व 23 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने का कार्य किया जावे । इस प्रकार अब इन चार वार्ड को शामिल करते हुए जीरो वेस्ट वार्ड की संख्या 30 हो जावेगी ।

उक्तानुसार तथा पूर्व बैठक में दिये गए निर्देशों बाबत एवं समक्ष में दिये गए अन्य निर्देशों के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जावे ।

श्री वासुदेव बैरागी समयपाल द्वारा उक्त कार्यवृत को निगम वेबसाईट पर अपलोड किया जावे ।

(सोमनाथ झारिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम

पृ0क्र0 / 486/24 / नि.स. / 2021, रतलाम, दिनांक 24–03–2021.

प्रतिलिपि,

1– कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय, नगर पालिक निगम–रतलाम की ओर अवलोकनार्थ।

2– समस्त विभाग प्रमुख, नगर पालिक निगम–रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/3/21
आयुक्त
नगर पालिक निगम.रतलाम

Scanned with CamScanner